प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 16.03.2023

धोखाधड़ी व चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त के निशानदेही पर चोरी का 1019.50 ग्राम सोने के जेवरात बरामद

थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 099/2023 धारा 379 भादवि बनाम राजीव कुमार वर्मा उर्फ राम पुत्र रामलखन वर्मा निवासी रामनगर चौरहा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्ग दर्शन मे तथा क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल नेतृत्व व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 गोपाल यादव द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी उक्त मुकदमे मे दिल्ली मे हुयी थी। जिसको ट्राजिट रिमाण्ड पर लाया गया था जो न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार मे निरुद्ध था। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 420/411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित माल बरामदगी हेतु अभियुक्त अपने बयान मे बताया था। जिसको आज दिनांक 16.03.2023 को मा0 न्यायालय के आदेश पर जिला कारागार गोरखपुर से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त के निशानदेही पर उसके किराये के मकान से चोरी गये 1019.50 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

राजीव कुमार वर्मा उर्फ राम पुत्र रामलखन वर्मा निवासी रामनगर चौरहा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1019.50 ग्राम सोने के जेवरात

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 099/2023 धारा 420/379/411 भा0द0वि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 गोपाल यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. का0 दीपक सिंह यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. का0 अशोक कुमार यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
5. का0 सूर्यदीप कुशवाहा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर